दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 30-08-2025

बिलासपुर

नीट यूजी

काउंसिलिंग में श्रेणी बदलने पर याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की

बिलासपुर | हाई कोर्ट ने नीट यूजी के तहत एमबीबीएस और बीडीएस काउंसिलिंग प्रक्रिया में श्रेणी बदलने की अनुमति को चुनौती देते हुए लगाई गई याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता छात्रा ने मांग की थी कि परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी बदलने की छूट न दी जाए, क्योंकि इससे उसकी रैंक और चयन पर विपरीत असर पड़ा है।

भिलाई निवासी शुभांगी सिन्हा ने याचिका में बताया कि उसने 12वीं के बाद नीट यूजी परीक्षा ईडब्ल्यूएस श्रेणी में दी और 421 अंक पाकर अखिल भारतीय रैंक 1,71,712 हासिल की थी। राज्य की 26 जुलाई की मेरिट सूची में उसका स्थान 1702 था। लेकिन 31 जुलाई 2025 को जारी सूचना के बाद कई उम्मीदवारों ने श्रेणी बदलकर ईडब्ल्यूएस में आवेदन दिया। दाखिल कर लिया। इससे संशोधित सूची में उसकी रैंक 2008 हो गई। कहा कि परीक्षा और मेरिट सूची के बाद श्रेणी बदलने की अनुमति नियमों और निष्पक्षता के खिलाफ है। यह छत्तीसगढ़ मेडिकल एजुकेशन नियम 2025 के नियम 6 और 7 का उल्लंघन है। वहीं, राज्य सरकार ने कहा कि 28 जुलाई और 6 अगस्त को जारी नोटिस के अनुसार, उम्मीदवारों को चॉइस फिलिंग और लॉक की अंतिम तारीख यानी 11 अगस्त 2025 तक अपने विवरण एडिट करने की अनुमति थी। यह नियमों के खिलाफ नहीं है और पारदर्शिता के तहत दिया गया अवसर है। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि नियम 7(i) के अनुसार मेरिट सूची घोषित होने के बाद ऑनलाइन आवेदन में श्रेणी व अन्य जानकारी बदली नहीं जा सकती, लेकिन लॉक और सबमिट की अंतिम तारीख से पहले सुधार की अनुमति को अवैध नहीं कहा जा सकता।